प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5   लखनऊ: दिनांक 08 फरवरी, 2013

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित पेयजल योजनाओं के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 2211/अड़तीस-5-10-20स्वजल/2010(टी0सी0-अ) दिनांक 29 नवम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या 1710/38-5/2011 दिनांक 06 सितम्बर, 2011 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर पर संस्थागत ढांचे से अवगत कराते हुए तदनुसार संस्थाओ को गठित करते हुए नियमित बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त शासनादेशों की प्रतियाँ सुलभ संदर्भ हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.swsmup.org पर उपलब्ध है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रो के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में निरन्तर सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल हेतु डीपबोर इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पो का अधिष्ठापन उ0प्र0 जल निगम एवं यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकलग्रामं एवं बहुलग्राम पाइप पेयजल योजनाए उ0प्र0 जल निगम द्वारा स्थापित की जा रही है। साथ ही पूर्व वर्षो में बहुत से ग्रामों में समुदाय द्वारा संचालित एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएं भी स्थापित की गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अत्याधिक दोहन वाले क्षेत्रों में जल की चिरंतरता (सस्टेनबिलिटी) के लिए चिरंतरता की संरचनाए यथा तालाब, चेक डैम इत्यादि का भी निर्माण कराए जाने का प्राविधान है।

3. जनपद में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त समस्त कार्यो का समुचित लाभ ग्रामवासियों को प्राप्त कराने हेतु इन योजनाओं का क्रियान्वयन समस्त मानकों को पूरा करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाना अपरिहार्य है। इस हेतु यह आवश्यक है कि इन योजनाओं का नियमित रूप से निरीक्षण एवं सत्यापन जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों तथा खण्ड विकास

[illegible] द्वारा प्रति माह की जाने वाली विकास कार्यों की समीक्षा में [illegible] के सत्यापन की समीक्षा भी प्रमुखता के साथ की जाए।

4 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्यों के भौतिक निरीक्षण में उपर्युक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सत्यापन के समय उ0प्र0 जल निगम अथवा पेयजल कार्यों से सम्बन्धित संस्था के उत्तरदायी प्रतिनिधि की उपस्थिति भी आवश्यक है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी ग्रामवासियों से कार्यों की गुणवत्ता तथा पेयजल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के सम्बंध में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि ग्रामवासियों की पेयजल को लेकर कोई विशिष्ट समस्या है तब ऐसे मामलों में सम्बन्धित समस्या का प्राथमिकता पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। यदि सत्यापन में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तब सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

5. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षणों एवं सत्यापनों के सम्बन्ध में विगत माह की आख्या शासन को अगले माह की 10 तारीख तक अवश्य प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या– 320 (1)/अड़तीस–5–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिला विकास अधिकरी, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झाँसी मण्डल, झाँसी / चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।